

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष-3/बजट-1/2019/5535

भोपाल, दिनांक 15/11/19

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
उत्पादन वनमंडल मंडला
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय के विस्तृत शीर्ष 006 वर्दी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक/व्यय/1450 दिनांक 11.11.2019

-0-

संदर्भित विषयान्तर्गत मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 22-कार्यालय व्यय के विस्तृत शीर्ष 006 वर्दी मद में बजट उपलब्धता के आधार पर राशि रुपये 2,10,000/- का अतिरिक्त बजट आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है :-

1. वर्दी क्रय में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पूर्ण रूप से पालन किया जावे।
2. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक/एफ 3-6/2001/10-1/राज्य शासन द्वारा वनरक्षकों को गणवेश प्रदाय संबंधी निर्देश एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही गणवेश प्रदाय किया जावे।
3. इस आवंटित राशि से गणवेश को छोड़कर कोई अन्य व्यय न किया जाये।
4. अव्ययित राशि नियमानुसार समर्पण करें।

(राजेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/11/19

पृ.क्र./कक्ष-03/बजट-1/2019/5536

प्रतिलिपि:-

1. ✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त जबलपुर, मध्यप्रदेश।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(राजेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल

19/11/19